न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

A8/

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 88/2010

1. आसोदेवी पुत्र श्री गोमाराम जाति अरोड़ा निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1. हेतराम पुत्र बगड़ावतराम जाति बिश्नोई निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनीराम
3. चुन्नीलाल
4. भागीरथ

} पिसरान बोगाराम जाति सुथार निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. हेतराम
6. बनवारीलाल

} पिसरान हरभजनराम जाति सुथार निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री एम.एल. माहर अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 7-10-16

वादीया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि वादीया के नाम से चक 5 बी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर में किसी प्रकार का कोई रास्ता या खाला नहीं है।

वादीया कि उक्त आराजी चक 5 बी छोटी की आबादी से चिपती है जिसमे प्रवेश हेतु तथा प्रत्येक किला की काश्त हेतु मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में एक छोटी पगड्डी बना रखी है जिसका उपयोग व उपभोग वादीया अपनी सुविधा के लिये करती है।

वादीया के उपयोग व उपभोग की पगड्डी में कभी कभार प्रतिवादीगण सहमती से आ जाते थे किन्तु मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है।

वादीया दिनांक 23.07.2010 को यह जानकर हतप्रध रह गई कि जब प्रतिवादीगण नें जबरन वादीया के खेत में प्रवेश कर रास्ता को स्थाई रूप देना चाहा वादीया को प्रतिवादीगण नें कहा कि वह जबरदस्ती नहीं करें जिसकी शिकायत श्रीमान् जिला कलक्टर को करनें पर कार्यवाही रोक दी।

पूर्व में भी अप्रार्थीगण नें रास्ता स्वीकृत हेतु श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की थी जो इस आश्य से खारिज फरमाया था कि विवादित आराजी पर श्रीमान्जी को कोई क्षैत्राधिकार नहीं है व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है, जो अन्तिम हो चुकी है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर भूमि की वादीया खातेदारी काश्तकार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता या खाला स्वीकृत शुद्धा नहीं है इसलिये वादीया प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें की अधिकारणी है, कि वादीया की खातेदारी चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर भूमि आराजी में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश ना करे तथा स्वंय और ना ही अन्य के माध्यम से कास्त में कोई बाधा उत्पन्न ना करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें के कारण दिनांक 08.02.2016 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 4 के रजिस्टर्ड सम्मन दिनांक 11.06.2014 से तलब करनें की रसीद प्रस्तुत की परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के उपस्थित नही आनें पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 10.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की और से जरिये अधिवक्ता जबाबदावा मय वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जानें के कारण जबाब प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को रिकार्ड पर लेनें योग्य होनें के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जबाब रिकार्ड पर लिया गया जिसमें अन्तर्गत कथन किया गया कि वादीया जिसे पगड्डी बतला रही है, वास्तव में वह रास्ता है।

वादीया द्वारा चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 को क्रय किया गया, उस विक्रय विलेख में भी मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 के दक्षिण साईड में मुरब्बा लाईन के साथ–साथ रास्ता विद्यमान है, यह रास्ता जब से गाव आबाद हुआ है, तभी से विद्यमान है, जो मुरब्बा नम्बर 10, 11, 24, 25, 26, 27 में विद्यमान है। और ग्रामवासी जब से गांव बसा है, तब से लेकर आज तक इन मुरब्बों में विद्यमान और प्रचलित रास्ते का आवागमन के लिये उपयोग व उपभोग करते आ रहे है सप् 1993 से वादीया के द्वारा मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में विद्यमान रास्ते को बन्द करनें का प्रयास किया। चूँकि यह रास्ता ग्राम वासियान की और से प्रतिवादी हेतराम के द्वारा श्रीमान् न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 8(2) राजस्थान कालोनाईजेशन (जनरल कालोनी) कन्डीशन 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो श्रीमान् न्यायालय के मुरद्मा माल संख्या 44/1993 पर दर्ज होकर दिनांक 06.07.1993 को इसका निर्णय हुआ। निर्णयानुसार प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया गया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्र्तगत दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत हेतु युक्तियुक्त अवसर देकर गुण अवगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा यह प्रकरण हेतराम व अन्य बनाम आशादेवी अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकद्मा संख्या 3/1993 दर्ज होकर तहसीलदार के द्वारा इसका निर्णय दिनांक 30.12.193 को किया जाकर वादीया के मुरब्बा नम्बर 24 के किजा नम्बर 21 ता 25 में जबरन बन्द किये गये रास्ते को खोलनें के आदेश दिये गये। इस आदेश से व्यथित होकर वादीया के द्वारा अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय में शीर्षक आशादेवी बनाम हेतराम संख्या 2/1994 पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 24.04.1995 को निर्णीत हुई और वादीया की अपील खारिज कर दी गई।

इस आदेश से व्यथित होकर वादीया के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई जो माननीय राजस्व मण्डल में शीर्षक आशादेवी बनाम हेतराम व अन्य के नाम से दर्ज होकर दिनांक 28.09.1998 को तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विषय वस्तुत सुखाधिकार के सन्दर्भ में थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत सीधे तहसीलदार को कार्यवाही करनें का क्षैत्राधिकार नहीं है, और तहसीलदार उसी स्थिति में कार्यवाही कर सकता है, यदि 45 दिवस के अन्दर–अन्दर ग्राम पंचायत के द्वारा सुखाधिकार से जुडे रास्ते के सम्बंध में कोई निर्णय न लिया गया हो।

राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्देश की पालना में ग्रामवासीयों का मूल प्रार्थना पत्र मय मण्डल के निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत 9 जैड को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित की गई। ग्राम पंचायत 9 जैड के द्वारा ग्रावासियान और वादीया को सुन कर मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में विद्यमान रास्ते को सुखाधिकार के रूप में ग्रामवासियान के द्वारा उपयोग व उपभोग किये जानें को प्रमाणित मानते हुए वादीया के विरूद्ध दिनांक 05.08.2000 को यह आदेश पारित किया गया कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में पड़नें वाले रास्ते में कोई अवरोध पैदा करनं, रास्ते को बन्द करने से अवरूद्ध रहे, तथा रास्ते को चालू रखा जावे। एवम् पंचायत के इस निर्णय की सूचना दी जाकर पंचायत के अभिलेख और राजस्व अभिलेख में भी प्रविष्टि किये जानें के आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये। वादिया के द्वारा इस आदेश के विरूद्ध कभी कोई अपील नहीं की गई और तदनुसार ग्राम पंचायत का यह आदेश अन्तिम हो चुका है।

इस प्रकार चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में वादीया जिसे पगड्डी का नाम स्वयं के लिये होना बता रही है, वह सुखाधिकार के रूप में प्रचलित व स्थापित रास्ता है, जिसका ग्रामवासियान अरसा दराज से बिना किसी व्यवधान के आज तक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

वादिया के द्वारा लगभग 10 वर्ष चुप रहनें के उपरान्त शीर्षक अनवान का वाद तथ्यों को छिपाते हुए इस माननीय न्यायालय में पुनः इस आश्य से प्रस्तुत किया है, कि प्रचलित व चालू रास्ता जो, सुखाधिकार के रूप में ग्रामवासियान व प्रतिवादीगण इस्तेमाल करते आ रहे है, उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा सके।

वादीया का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज होनें योग्य है और वादीया किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करनें की अधिकारिणी नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के जबाब के पश्चात दिनांक 04.09.2015 को निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर आराजी में जबरन प्रवेश ना करे तथा स्वयं और ना ही अन्य के माध्यम से कास्त में कोई बाधा उत्पन्न ना करें ? — — वादी
2. आया कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में वादिया जिसे पगड्डी का नाम स्वयं के लिये होना बतला रही है। वह सुखाधिकार के रूप में प्रचलित एवम् स्थापित रास्ता है। वादिया वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज योग्य है। अतः दावा खारिज किया जावे। — — प्रतिवादीगण

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें के कारण दिनांक 23.09.2016 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों नें अपनें अपनें वाद पत्र तथा जबाब वाद पत्र को ही दोहराते हेतु प्रकरण में उचित आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

लगातार 4

A8/5

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली का गहन अवलोकन करनें पर उक्त तनकियात का निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :–

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत को रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार होनें के कारण ग्राम पंचायत द्वारा चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर आराजी में किला नम्बर 21 ता 25 में विद्यमान रास्ता को पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, खातेदारी में कोई भूमि होते हुए भी यदि रास्ते के रूप में प्रयोग हो रही है, तो दसके किसी प्रवेश अनाधिकृत नहीं है। इसलिये वादीया को राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 88 के तहत अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः तनकियात का निर्णय वादीया के विरूद्ध किया जाता है।
2. वादिया यह सिद्ध करनें में असफल है, कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में वादिया जिसे पगड्डी का नाम स्वयं के लिये होना बतला रही है। कसी भी न्यायालय से स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है, बल्कि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 21 ता 25 में ग्राम पंचायत द्वारा सुखाधिकार के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत किया गया है अतः तनकियात नम्बर 2 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस तथा पत्रावली के विवेचन से यह स्पष्ट है, कि ग्राम पंचायत 9 जैड द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत सुखाचार के अन्तर्गत चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर आराजी में किला नम्बर 21 ता 25 में विद्यमान चालु रास्ता को स्वीकृत किया जा चुका है। जो सुखाचार की श्रेणी में होनें के कारण इस भूमि पर वादीया का कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीया खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 7-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर